



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

वर्ष 2013 से 2016 तक आयोजित राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा (NMMS) में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति प्राप्ति हेतु Renewal/Fresh आवेदन Online जमा करने के संबंध में।

विज्ञापित संख्या - 50/2017

वर्ष 2013 से 2016 तक आयोजित राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं, उनके अभिभावकों एवं जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु National Scholarship Portal (<http://scholarship.gov.in>) पर छात्रवृत्ति को **Renwal** करने या नवीन (**Fresh**) आवेदन (Claim Bill) Online जमा करने की कार्यवाही की जा रही है। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र जमा करने की प्रक्रिया निम्नवत् है:-

Online आवेदन भरने की प्रक्रिया:-

- सर्वप्रथम आवेदक पोर्टल पर अपने आप को पंजीकृत करेंगे। पंजीकृत करने के पश्चात् छात्र को SMS के द्वारा Registration number प्राप्त होगा। इस नम्बर के द्वारा वे आगे आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।
- आवेदन भरते समय आवेदक अपनी पूर्ण विवरणी जैसे नाम, पिता/माता का नाम, जन्मतिथि, आधार नम्बर, खाता नम्बर, IFS कोड एवं राज्य इत्यादि शुद्ध-शुद्ध भरें तथा Online Data Submit करने से पहले सारी सूचना भली-भाँति जाँच लेंगे।
- NMMS स्कीम के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हुए Pre Matric option चुनेंगे।
- इसके बाद डाटा verification के लिए विद्यालय प्राचार्य के पास Online उपलब्ध होगा। प्राचार्य/प्राचार्य Online आवेदन को भली-भाँति जाँच कर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को अग्रसारित करेंगे।
- जिला शिक्षा पदाधिकारी आवेदन को जाँच कर नोडल पदाधिकारी को अग्रसारित करेंगे।
- आवेदन त्रुटिपूर्ण या अधूरा रहने की स्थिति में प्रधानाचार्य/जिला शिक्षा पदाधिकारी back कर देंगे। वापस होने की स्थिति में आवेदक वांछित संशोधन कर पूर्व की प्रक्रिया को अपनाते हुए पुनः आवेदन Submit करेंगे।

ii) आवेदन Online भरने की अंतिम तिथि **30.09.2017** है।

iii) ध्यातव्य कि NMMS Scheme के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। झारखण्ड अधिविद्य परिषद् परीक्षा आयोजित कर सफल छात्र/छात्राओं की सूची भारत सरकार को उपलब्ध कराने वाली संस्था मात्र है।

नोट:- सभी प्रकार के छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु छात्र के पास आधार संख्या होने के साथ-साथ बैंक से Seeding होना आवश्यक है।

JAC/Sch/71/Secy/514/17
Dt. 30.08.17
D.O.P : 31.08.17

अध्यक्ष के आदेश से,
ह./- (रजनीकांत वर्मा)
सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।